[श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे]

(दो) उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने-ले-जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 460 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3813/72]

मुल्की नियमों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MULKI RULES

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्री, गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस सदन को पिछले सप्ताह आन्ध्र प्रदेश में मुल्की नियमों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर मिला था। उस राज्य के कुछ हिस्सों में तीव्र हिंसा की कार्रवाईयां हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप जानी नुकसान और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंची है। इससे इस सदन को और देश के सभी लोगों को गहरी व्यथा पहुंची है। मैंने राज्य के सभी वर्गों तथा सभी राजनैतिक पार्टियों से अपील की थी कि वे सार्वजनिक शांति की पुनः स्थापना करने तथा आत्मविश्वास का वातावरण तैयार करने के प्रयास में मदद करें।

2. हमें आशा थी कि राज्य के नेता आपस में विचार-विमर्श के द्वारा ही कोई समझौता कर लेंगे। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनके सहयोगी यह चाहते थे कि केन्द्रीय सरकार मुल्की नियमों से सम्बन्धित सभी मामलों में निर्णय लें।

3. पिछले कुछ सप्ताहों में मैंने तथा मेरे सहयोगियों ने आन्ध्र प्रदेश के नेताओं तथा जनता के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया है। इन चर्चाओं से यह पता चला है कि आन्ध्र प्रदेश की जनता की यह प्रबल इच्छा है कि वे वर्तमान अखण्ड राज्य के ढांचे के भीतर ही इसका कोई हल निकाला जाय। इस प्रश्न पर पूर्ण गहनता के साथ विचार करने के पश्चात् हमने कुछ निर्णय लिए हैं, जिन्हें मैं इस विवरण के दौरान सदन के सम्मुख रखना चाहूंगी।

4. वर्ष 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के गठन के समय, यह महसूस किया गया था कि तेलंगाना की जनता सरकारी रोजगार के सम्बन्ध में कुछ संरक्षण चाहेगी और आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसा फारमूला तैयार किया गया जिस पर सभी की सहमति थी। राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए, सरकारी रोजगार के लिए निवासीय अर्हता को अन्य क्षेत्रों के लिए हटा दिया गया। तेलंगाना क्षेत्र के अधीनस्थ सेवाओं के पदों को भरे जाने के लिए उस क्षेत्र में निवास की आवश्यकता की शर्त की व्यवस्था करने के लिए, फिर भी संसद ने सरकारी रोजगार (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 पारित किया। इस नियम को अस्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था जिसकी अवधि मार्च, 1974 में समाप्त होनी थी। किन्तु इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 1969 के प्रारम्भ में ही रद्द कर दिया गया। तब से राज्य की सरकारी सेवाओं में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढ निकालने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें ध्यान देती रही है।

उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय से नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे पहले सोचे गए उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिए आगे और उपाय किए जाने की आवश्यकता हैं।

5. यह सर्व विदित है कि मुल्की नियम राज्य सरकार के अधीन केवल कुछ ही पदों पर लागू होते हैं और अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के पदों एवं केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदों पर लागू नहीं होते हैं।

6. जिन उपायों का निर्णय किया गया वे इस प्रकार हैं :—

(i) मुल्की नियमों में निर्धारित निवासीय अर्हता केवल तेलंगाना क्षेत्र में अराजपत्रित पदों तथा तहसीलदार, सिविल सहायक सर्जन तथा जूनियर इंजिनियर के पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए लागू होगी। तथापि, संयुक्त (कम्पोजिट) कार्यालयों के बारे में उदाहरणतः, सचिवालय, राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों तथा सामान्य संस्थाओं के सम्बन्ध में ये नियम अराजपत्रित पदों में होने वाली प्रत्येक तीन सीधी भर्ती की रिक्तियों की इकाई में दूसरी रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए लागू होंगे।

(ii) ये संरक्षण तेलंगाना क्षेत्र में दिसम्बर, 1980 के अन्त तक लागू रहेंगे। किन्तु हैदराबाद और सिकन्दराबाद के शहरों में ये संरक्षण केवल दिसम्बर, 1977 के अन्त तक ही जारी रहेंगे। यह अन्तर इसलिए रखा गया हैं, क्योंकि राज्य की राजधानी इन्हीं शहरों में स्थित हैं।

(iii) इन दो क्षेत्रों में से प्रत्येक में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा-काडरों को प्रथम अथवा द्वितीय राजपत्रित स्तर तक क्षेत्रीकृत किया जाएगा। तथापि, यह बात उन सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सीधी फीडर सेवाओं का काम करती हैं।

(iv) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के शहरों में तेलंगाना के छात्रों को तकनीकी तथा व्यवसायी क्षेत्रों में प्राप्त सुविधाओं समेत, जो शैक्षिक सुविधाएं इस समय प्राप्त हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन शहरों में दी गई सुविधाओं का उचित रूप से विस्तार किया जायेगा और इस प्रकार दी गई अतिरिक्त सुविधाओं पर निवास के आधार पर कोई पाबन्दियां नहीं लगाई जायेंगी।

(v) हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के शहरों के लिए एक मिश्रित पुलिस बल होगा जिसके ब्यौरे राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किए जायेंगे।

इन उपर्युक्त निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक विधान, संसद में शीघ्र ही लाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ऐसी उपयुक्त व्यवस्था ढूंढ़ निकालेगी जिससे इन प्रबन्धों को सुचारु रूप से चलाये जाने के लिए निश्चित व्यवस्था हो सके।

7. उपर्युक्त निर्णय अखंड राज्य की आवश्यकताओं, सरकारी रोजगार तथा शिक्षा के मामले में दोनों क्षेत्रों के लोगों के न्यायोचित हितों, तथा इस सदन में दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। सरकार आशा करती है कि इन निर्णयों को राज्य में आम

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

स्वीकृति प्राप्त होगी तथा उन्हें उदारता, सहयोग तथा सहनशीलता की भावना से कार्यान्वित किया जाएगा ।

मैं विशेषकर संसद के सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि वे आन्ध्र प्रदेश के सभी भागों में शान्ति बनाए रखने में सहायता करें ।

श्री के० रघुरामैया (गुन्टूर) :*

श्री श्यामानन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या ये सब बातें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित की जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देता । बाद में यदि आप चर्चा करना चाहें तो उस पर कोई रोक नहीं होगी । मंत्री महोदय के वक्तव्य देने के बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा ऐसा स्पष्ट नियम है ।

डा० जी० एस० मेलकोटे (हैदराबाद) : मेरा निवेदन है कि मैंने प्रधान मंत्री को बोलते हुए सुना·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

डा० जी० एस मेलकोटे : मैं भी यही कह रहा हूं । यदि श्री रघुरामैया का वक्तव्य सम्मिलित किया गया···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

19वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 19वें प्रतिवेदन से, जो 24 नवम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

Shri Shyamnandan Mishra : I have to make a submission about it.

Mr. Speaker : The procedure decided by the House which we implement is that all the hon. Members can give suggestions on the deny the hon. Minister declares business for the following week. But when the report of the Business Advisory Committee is recieved that motion is placed straightway for acceptance.

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

* Not recorded.